

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र. एफ-15/शोध/मदसवि/RET 2017/

दिनांक : /09/2021

पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसवि/RET-2017/68975 दिनांक: 24.08.2018 एवं संशोधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसवि/RET-2017/70833 दिनांक: 26.09.2018 की अनुपालना में निम्नांकित अभ्यर्थियों के आवंटित शोध पर्यवेक्षक डॉ. चन्द्रेश पारीक का स्थानान्तरण अन्यत्र (विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बाहर) होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन की प्रार्थना पत्र एवं शोध पर्यवेक्षक डॉ. चन्द्र प्रकाश पोखरणा से प्राप्त सहमति के आधार पर O.124.5(E) के प्रावधानान्तर्गत शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विषयवार शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति द्वारा दिनांक 08.07.2021 को पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाने की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 10.08.2021 को प्रदत्त अनुमोदन की अनुपालना में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं:-

क्रसं.	विषय	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम	विवरण
1	Chemistry	MEENAKSHI MEWARA	Dr. C.P. Pokharna S.R.K. Patni Govt.College, Kishangarh	
2	Chemistry	MEGHNA VIJAYVERGIYA	Dr. C.P. Pokharna S.R.K. Patni Govt.College, Kishangarh	

उक्त पुनः आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

1. अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में कोर्स वर्क ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी।

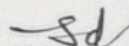
2. संबंधित अभ्यर्थी को 'कोर्स वर्क' ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।

3. अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व आवंटित शोध पर्यवेक्षक डॉ. चन्द्रेश पारीक से एक समस्त 6 माह का कोर्स वर्क का पेपर II एवं III का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत होगा।

4. अभ्यर्थियों को वर्तमान में सेवारत होने अथवा नहीं होने का घोषणा पत्र शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा तथा भविष्य में पाठ्यक्रम की अवधि में नियुक्ति प्राप्त होती है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5. सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्त स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

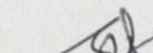

निदेशक (शोध)

क्र. एफ-15/शोध/मदसवि/RET 2017/ 19032-39

दिनांक : 2/09/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अविलम्ब निदेशक शोध को अग्रेषित कराकर अनुगृहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षक को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वाइन रिपोर्ट अग्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हें शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. डॉ. चन्द्रेश पारीक, शोध पर्यवेक्षक-रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़, बांसवाड़ा।
4. वेब एडमिनिस्ट्रेशन, म.द.स.वि.वि.अजमेर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
6. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।


उपकुलसचिव(शोध)
01/09/21